5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

18

समक्षः- माननीय राजस्वमंडल ग्वालियर म०प्र० शिविर भोपाल

==

पु०या०क्रमांक :- /18 PBR/ निगरानी/होशंगाबाद/भू०रा/2018/1501

प्रस्तुत दिनांक:- 27/02/2018

श्री आरि. के. पाराशर अभि. द्वारा 27-2-18 को प्रस्तुत निग. 27-2-18

वंदना पालिवाल पत्नि स्व० भगवती पालीवाल
निवासी वार्ड नंबर 1 बानापुरा, तहसील सिवनी
मालवा जिला होशंगाबाद म०प्र० ------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

सविता कपूर पत्नि ओम कपूर निवासी वार्ड नंबर
1 फैल मोहल्ला बानापुरा, तहसील सिवननी मालवा
जिला होशंगाबाद म०प्र० --------अनावेदिका

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता .

==

याचिकाकर्ता निम्न न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 159बी-121/2017-18 बानापुरा मे पारित आदेश दिनांक 7/2/2018 से परियेदित होकर निम्नानुसार यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है :-

त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1501

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही प्रशासकीय स्वरूप की है, म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही नहीं है । अत: उक्त कार्यवाही के विरूद्ध मंडल में निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	